भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र
ICAR–National Research Centre on Litchi
(कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)
(DARE, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India)
मुशहरी, मुजफ्फरपुर, बिहार Mushahari, Muzaffarpur, Bihar-842 002
Website: https://nrclitchi.org.in , Email: nrclitchi@yahoo.co.in

राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र
आवक सं० 3016482
दिनांक 27/3/2026
मुजफ्फरपुर (बिहार)

F. No. 12-1(08)/P&S/2025/Auction of Litchi Plants/ 13016482 Date: 26 March 2026

निविदा सूचना संख्या–01 / क्रय / 2026–2027 / लीची फल
[Tender for Auction of Litchi Fruits-Year 2026]

विषयः– भा.कृ.अनु.प.– राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर पर वर्ष 2026 में लीची के फलों की नीलामी

निदेशक, भा.कृ.अनु.प.– राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर, के द्वारा वर्ष 2026 में लीची के फलों की नीलामी हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्न प्रकार है।

प्रयोगात्मक लीची के पेड़ों का विवरण	निविदा शुल्क तथा बयाना राशि जमा [EMD]	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा खुलने की तिथि एवं समय
निविदा हेतु पेड़ो की कुल संख्या– 2704 पेड़	1. निविदा शुल्क–रुपये 1500/–(रुपये एक हजार पॉच सौ मात्र) (वापसी योग्य नहीं) 2. बयाना राशि जमा–रुपये 25,000/–(रुपये पच्चीस हजार मात्र) (वापसी योग्य–छह महीने पूर्ण होने के उपरांत)	10 अप्रैल, 2026 11:00 बजे पूर्वाहन् तक	10 अप्रैल, 2026 03:00 बजे अपराहन्
नोटः सफल निविदाकर्त्ता द्वारा जमा की गई बयाना राशि को सुरक्षा राशि में परिवर्तित कर दिया जायेगा तथा कार्य सफलतापूर्वक सम्पूर्ण होने के छह महीने के उपरान्त् वापस कर दिया जायेगा । **अन्य निविदाकर्ता की अग्रधन राशि को निविदा प्रक्रिया समाप्त होने पर वापस कर दिया जायेगा।**			

नीलामी किये गये लीची के फलों को खरीदने के इच्छुक व्यक्ति निर्धारित निविदा प्रारूप में अपना निविदा भा.कृ.अनु.प.– राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में जमा कर सकते है।

निविदा हेतु नियम एवं शर्तेः–

1. निविदा पत्र, केन्द्र के प्रशासनिक कार्यालय से अथवा केन्द्र की बेवसाईट nrclitchi.org.in से प्राप्त कर सकते है । भरा हुआ निविदा पत्र जमा करने के समय निविदा पत्र के साथ निविदा **शुल्क रुपये 1500.00 (एक हजार पॉच सौ रूपये मात्र)** की डी.डी. एवं **बयाना राशि जमा रुपये 25,000/–(रुपये पच्चीस हजार मात्र)** की डी.डी. सलग्न करना होगा। निविदा शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा। **डी.डी. ICAR-Unit NRCL के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, मुशहरी, मुजफ्फरपुर (बिहार)–शाखा कोड SBIN0014283 में देय होगा।**

2. सभी निविदा बन्द लिफाफा में भरी होना चाहिए एवं लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या–01/क्रय/2026–2027/लीची फल /'लीची के फलों की नीलामी हेतु निविदा' लिखी होनी चाहिए। **निविदा कार्यालय के कक्ष में उपलब्ध निविदा बॉक्स में अंतिम तिथि एवं समय–10 अप्रैल, 2026 (11:00 बजे पूर्वाहन्)तक जमा किया जाएगा, अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है।** डाक से भेजने पर कोई क्षति/देरी के लिए यह केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा। अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. डाक द्वारा प्राप्त निविदा भी निविदा बॉक्स में डाल दिया जायेगा जिसे समिति द्वारा अंतिम तिथि एवं समय पर सील कर दिया जायेगा।

4. निविदा पत्र खरीदने के उपरान्त नीलामी हेतु लीची के बागों का निरीक्षण प्रातः 10.00 से सायं 4.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में प्रक्षेत्र प्रभारी से विचार विमर्श कर किया जा सकता है। निविदा भरने के पूर्व इच्छुक व्यक्ति नीलामी किये गये पौधो की संख्या का अच्छी प्रकार से जॉच कर लें अथवा प्रक्षेत्र प्रभारी से समझ लें । चिन्हित पौधों, शाखाओं एवं फलो (Bagged and Tagged] को नीलामी में शामिल नहीं किया गया है । अतः नीलामी भरने से पूर्व संबंधित वैज्ञानिक/प्रक्षेत्र प्रभारी से पूर्ण रुप से निविदा में जाने वाले पौधों के बारे मे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें ।

5. **निविदा खुलना'** निविदा खुलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा लिखित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यालय परिसर में उपस्थित हो सकते है।

6. **भुगतान की विधि**–निविदा खुलने के उपरान्त सफल निविदाकर्ता को उनके द्वारा भरी गयी राशि को **इस केन्द्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (मुशहरी शाखा) के खाता संख्या–30043154027**, आई.एफ.सी.कोड–**SBIN0014283** में **दिनांक–17 अप्रैल, 2026 तक कुल राशि का 50%, दिनांक–17 मई, 2026 तक बची राशि का 25% तथा दिनांक–22 मई, 2026 तक बची राशि का 25% जमा करके (पूर्ण राशि के जमा करने का साक्ष्य** (बैंक स्टेटमेंट की प्रति अथवा अन्य प्रति) **कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा । 75% राशि के भुगतान के बिना फल तोड़ने की अनुमति प्रदान नही की जायेगी। किसी भी स्थिति में नकद राशि स्वीकार नही की जायेगी।**

7. संस्थान द्वारा निर्धारित आधार मूल्य से कम राशि प्राप्त होने की स्थिति में उसी समय समिति के समक्ष ही पुनः बन्द निविदा की प्रक्रिया भी शुरु की जा सकती है।

8. निविदा स्वीकार करने का अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प.– राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर को शर्त के अनुरूप किसी भी निविदा को स्वीकृत करने/रद्द करने का पूर्णतया अधिकार होगा। निविदा प्रक्रिया के दौरान निविदा के किसी भी भाग को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

9. **मध्यस्तता**–किसी प्रकार के निविदा से संबंधित विवादों, मतभेदों के निराकरण हेतु भा. कृ.अनु.प.– राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर को प्रेषित किया जा सकता है। **निदेशक, भा.कृ.अनु.प.– राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर का निर्णय किसी भी पक्ष के लिए अंतिम रूप से मान्य होगा।**

12. **सुरक्षा व्यवस्था**–सफल निविदाकर्ता को फलों की सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। चोरी, फसल की बर्बादी, कीट एवं रोगों का प्रकोप, प्राकृतिक विनाशकारी आपदा अथवा किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित कारणवश क्षति के लिए यह केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा एवं इस प्रकार के आवेदन के उपर विचार नही किया जायगा।

13. **शस्य क्रियाऐं**–ठेकेदार के द्वारा विभिन्न प्रखण्डों के पौधों की सिंचाई, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग प्रखंड से संबंधित वैज्ञानिकों से विचार–विमर्श कर किया जायेगा ।

14. प्रक्षेत्र प्रभारी एवं सम्बन्धित वैज्ञानिकों की निगरानी में ठेकेदार को अपने श्रमिकों द्वारा फलों की तुड़ाई करनी होगी। **तुड़ाई कार्य प्रातः 07:00 से 04:30 बजे अपराह्न तक कार्य दिवसों में प्रक्षेत्र प्रभारी एवं संम्बधित ब्लॉक वैज्ञानिक के निर्देशानुसार ही करनी होगी।** संबंधित वैज्ञानिक की अनुमति के बिना तुड़ाई नहीं की जा सकेगी ।

15. इस केन्द्र द्वारा प्रक्षेत्र कार्य गुड़ाई, सिंचाई एवं जुताई आदि तथा कोई अन्य प्रायोगिक कार्यो के कराये जाने पर ठेकेदार को कोई हस्तक्षेप/आपति का अधिकार नहीं होगा। फलों की तुड़ाई का कार्य लीची के पौधों को बिना क्षति पहुँचाए किया जाना होगा

16. फलों की तुड़ाई का कार्य आकार के आधार पर नहीं बल्कि पकने की वास्तविक स्थिति पर करना होगा तथा इस विषय पर केन्द्र के वैज्ञानिकों की राय अंतिम होगी।

17. प्रत्येक पौधों की उपज (अनुसंधान के उद्देश्य हेतु) केन्द्र के वैज्ञानिकों/तकनीशियन/प्रतिनिधि अंकित करेंगे।

18. फलों की तुड़ाई के समय केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों को मानना अनिवार्य होगा ।

19. संबंधित प्रखण्डों के वैज्ञानिको एवं प्रक्षेत्र प्रभारी को पेड़ो के निरीक्षण एवं परीक्षण हेतु फलों का नमूना (sample) लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।

20. फलों की तुड़ाई, रख रखाव एवं ढुलाई की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

21. ठेकेदार अथवा उनके श्रमिकों द्वारा संस्थान की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाने पर इसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस प्रकार से नुकसान की अवस्था में सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

22. ठेका अवधि नीलामी की 100 प्रतिशित राशि जमा करने के साथ ही प्रारम्भ होगी एवं फलों की तुड़ाई समाप्त होते ही समाप्त होगी।

24. किसी भी प्रकार का प्राकृतिक आपदा (वर्षा, ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, भुकंप अथवा अन्य कोई भी) के लिए भा.कृ.अनु.प.– राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर जिम्मेवार नहीं होगा । ठेकेदार की किसी भी प्रकार की हुई क्षति के लिए वो स्वयं जिम्मेवार होंगें । यह संस्थान किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा । **सभी विवादों के निपटारा का क्षेत्र मुजफ्फरपुर में होगा।**

25. ठेकेदार फलों की सुरक्षा हेतु प्रर्याप्त संख्या में सुरक्षा प्रहरी/व्यक्ति प्रक्षेत्र के अन्दर रख सकेगें। जिसकी जानकारी केन्द्र को पहले ही दे देनी होगी। सुरक्षा प्रहरी में तैनात

व्यक्तियों का पूरा विवरण फोटो, नाम, पता का परिचय पत्र/आधार कार्ड/वोटर आई कार्ड/ की प्रति कार्यालय में जमा करना होगा।

26. ठेकेदार के द्वारा फलो की तुड़ाई के लिए 18 वर्ष से नीचे की आयु के श्रमिकों को नहीं लगाया जायेगा।

27. चिन्हित लीची फल वृक्षों, डालियों, टहनियों, बैगिंग, टेगिंग की गयी शाखाओं, गुच्छों में फलों की तुड़ाई प्रखंड से संबंधित वैज्ञानिक की उपस्थिति में ही करना होगा।

28. फलों की तुड़ाई में किसी भी प्रकार से शाखाओं एवं टहनियों, प्रयोग के दृष्टि से लगाये गये निशान, टैगिंग आदि की क्षति व नुकसान नहीं होनी चाहिए। ऐसा पाये जाने पर ठेकेदार के सुरक्षित राशि की अंशतः या पूर्णतः जब्त कर लिया जायेगा।

29. निविदाकर्त्ता को **लीची बगीचे के 2704 पेड़ो की एकमुश्त राशि निविदा पत्र में शब्दों एवं अंकों में साफ–साफ लिखना है, जिस निविदाकर्त्ता की राशि अधिक होगी उसे निविदा प्रदान की जायेगी।**

30. सुरक्षा राशिः ठेकेदार को फल तुड़ाई निविदा के लिए "सुरक्षा राशि" कार्यालय में जमा करना होगा जो फलों की तुड़ाई के उपरान्त सब कुछ ठीक–ठाक रहने पर वापस किया जायेगा। सुरक्षा राशि नीलामी की बोली का 10 प्रतिशत होगा।

31. नोटः प्रति पौधा 25 लीची फलों का नमूना परीक्षण के लिए आवश्यकतानुसार संबंधित वैज्ञानिकों के द्वारा समय–समय पर तुड़ाई के पहले या तुड़ाई के समय पर लिया जायेगा जिसके लिए अनुसंधान केन्द्र से कोई मूल्य नहीं दिया जायेगा इसमें ठेकेदार के द्वारा कोई आपति मान्य नहीं होगी।

32. प्रशासनिक कार्य हेतु अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क किया जा सकता है।

33. प्रक्षेत्र प्रभारी द्वारा दिये गये गेट पास के बिना संस्थान से लीची ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

34. नीलामी योग्य पौधों की संख्या तथा स्थिति (प्रखंड के आधार पर) की जानकारी हेतु प्रक्षेत्र प्रबंधक से संपर्क करें ।

35. प्रायोगिक प्रक्षेत्र प्रखंड से गुणवत्ता जांच एवं अन्य विश्लेषण के लिए 25 फल प्रति पौधा संबंधित वैज्ञानिक द्वारा लिया जायेगा।

36. निविदायोग्य पौधों का विवरण संल्गनक–1 में अंकित है ।

प्रशासनिक अधिकारी
राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर

प्रशासनिक अधिकारी
Administrative Officer
रा० ली० अनु० केन्द्र, मुजफ्फरपुर
NRCL, Muzaffarpur

....

उपर लिखे सभी नियम एवं शर्ते मुझे पूरी–पूरी मान्य है।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

तिथि :

सम्पूर्ण डाक पता एवं मुहर :

(दूरभाष संख्या)

भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र
ICAR–National Research Centre on Litchi
(कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)
(DARE, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India)
मुशहरी, मुजफ्फरपुर, बिहार Mushahari, Muzaffarpur, Bihar-842 002
Website: https://nrclitchi.org.in , Email: nrclitchi@yahoo.co.in

F. No. 12-1(08)/P&S/2025/Auction of Litchi Plants/ Date: 26 March 2026

निविदा सूचना संख्या–01/क्रय/2026–2027/लीची फल
[Tender for Auction of Litchi Fruits-Year 2026]

[Tender Submission Last Date: 10 April, 2026 [11:00 A.M.] and Tender Opening Date: 10 April, 2026 [03:00 P.M.]

FINANCIAL BID/वित्तीय बोली

फल का विवरण : लीची फल (कुल 2704 पेड़ों के फल)

प्रक्षेत्र	प्रयोगात्मक लीची के पौधों	कुल पौधे	कुल दर (रुपये) (संख्या में साफ–साफ लिखें)	कुल दर (रुपये) (शब्द में साफ–साफ लिखें)
मुशहरी मुजफ्फरपुर	प्रखंड के आधार पर	2704		

घोषणाः–मै यह घोषणा करता हूँ कि, मैने निविदा भरने से पूर्व, निविदा के लिए गये पोधौ से संबंधित जानकारी प्राप्त कर ली है, तथा निविदा–पत्र के सभी नियम एवं शर्तो को स्वीकार करते हुए निविदा भरी है ।

[Signature of Contractor]
(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

Name of Contractor with Address:
ठेकेदार का नाम एवं पता

Mobile Number:
दूरभाष संख्या

AADHAR Number:
आधार संख्या

PAN Number
पैन कार्ड संख्या

Annexure-I. Details of the Plants available for auction along with the terms and conditions

Sr. No.	Name of Block	Total Plants	Plants Reserved for Research	Fruits Reserved for Research	Plants available for Auction	Terms and conditions
1.	Germplasm-II	144	3 caged plants reserved by Dr. Ipsita Samal	20 fruits per plant reserved by Dr. Sunil Kumar	141	Standard package of practices of ICAR-NRCL shall be followed
2.	China-I	144	0	0	144	Standard package of practices of ICAR-NRCL shall be followed
3.	China-II	144	24 plants reserved (11th & 12th rows) by Er. Ankit Kumar, Dr. Sunil Kumar & Dr. Ipsita Samal	-	120	Standard package of practices of ICAR-NRCL shall be followed
4.	China-III	144	0	30 fruits from 20 girdled plants reserved by Dr. Prabhat Kumar	144	Standard package of practices of ICAR-NRCL shall be followed
5.	Canopy Architecture Management	208	0	50 fruits from 45 tagged plants reserved by Dr. Sunil Kumar	208	Standard package of practices of ICAR-NRCL shall be followed
6.	Physiology	208	0	0	208	Standard package of practices of ICAR-NRCL shall be followed
7.	Clonal	115	0	0	115	Standard package of practices of ICAR-NRCL shall be followed
8.	Shahi-I	144	0	25 fruits from 72 tagged plants reserved by Dr. Prabhat Kumar	144	Standard package of practices of ICAR-NRCL shall be followed
9.	Shahi-II	144	0	100 fruits from 120 marked plants reserved by Dr. Ipsita Samal	144	Insecticides shall be applied only after consultation with Dr. Ipsita Samal
10.	Shahi-III	144	0	0	144	Standard package of practices of ICAR-NRCL shall be followed

11.	Organic (Shahi-IV)	144	0	25 fruits from 72 tagged plants reserved by Dr. Prabhat Kumar	144	Only organic inputs permitted with approval of I/C Farm
12.	Fertigation/GAP	144	36 plants reserved by Er. Ankit Kumar	50 fruits per plant reserved by Dr. Suvalaxmi Palei	108	Irrigation shall be applied through mini/mid-canopy sprinkler system
13.	H.D.P.	207	0	0	207	Standard package of practices of ICAR-NRCL shall be followed
14.	Variety Evaluation Trial	220	0	0	220	Standard package of practices of ICAR-NRCL shall be followed
15.	Pathology	48	20 plants reserved by Dr. Vinod Kumar	-	28	Practices to be followed in consultation with Dr. Vinod Kumar
	Conservation	64	0	0	64	Standard package of practices of ICAR-NRCL shall be followed
16.	Water Management	106	0	50 fruits per plant reserved by Dr. Suvalaxmi Palei	106	Irrigation under supervision of Dr. Suvalaxmi Palei
17.	HDP Trial	315	0	0	315	Standard package of practices of ICAR-NRCL shall be followed
Total					**2704**	

Note: The number of plants available for auction shall be physically verified by the bidder before the participation in the tender.